9

1/10/21

वकील प्रार्थी उपस्थित। मूलवाद पत्रावली जिला
अभिलेखागार जौनपुर से प्राप्त हुई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन
है कि पक्षकारान की सहमति के आधार पर
विवादित आराजी तल खसरा नम्बर 45, 67, 146
147, 169, 172, 206, 230, 294, 302, 317, 323, 326,

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	303, 311, 327, 368, 383 मौजे ग्राम डोंगरपुर तहसील व जिला धौलपुर पर दिनांक 9.1.2007 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित हुये थे। मूल दावा दिनांक 31.3.2008 में अदम पैरवी व अदम हाजिरी व निर्देशों की पालना ना करने के डिफाल्ट में खारिज हो चुका है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट अंकित है। जबकि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश मूल वाद के साथ ही खारिज हो चुका है अतः स्थगन आदेश के नोट के अंकन को हटाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी की बहस को मय एक पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 9.1.2007 के आदेश के स्थगन आदेश मामले विवादित आराजी मूल वाद के निर्णय तक ही जारी किया गया है तथा मूल वाद भी दिनांक 31.3.2008 को खारिज हो चुका है। मूल वाद के बगैर स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है अतः हम उक्त स्थगन नोट को हटाना उचित समझते हैं। आदेश है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश उक्त विवादित आराजी पर ना हो तो तहसीलदार धौलपुर को स्थगन आदेश दिनांक 9.1.2007 के नोट को हटाने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)